न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 23/2017

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
मिश्रीमल पुत्र रावतमल जाति जैन निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.05.2017 जो विभागीय प्रकरण सं. 34/2017 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 04/02/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 34/2017 सरकार बनाम मिश्रीमल मे पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट मिश्रीमल/रावतमल, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड सं. 4, 14 चौहटन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री का प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न प्राप्त, वितरण एवं शष का भौतिक सत्यापन किये जाने पर 128.95 क्विंटल गेंहू कम पाया गया। स्टॉक रजिस्टर के संधारण मे त्रुटियां एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 सितम्बर 2016 से समस्त खाद्यान्न का वितरण

जिला कलक्टर बाड़मेर

पोश मशीन से किये जाने के निदशों के बावजूद भी 117.90 क्विंटल गेंहू वितरण रजिस्टर से वितरण किया जाना पाया गया है। उक्त वितरण का समायोजन करने के बावजूद भी 11.05 क्विंटल गेंहू का गबन करने जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि रूपये 1000/- जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलांट के नाम मौजा चौहटन हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र संख्या 97/99 वर्ष 1999 मे जारी किया गया था तथा पिछले 18 वर्षों से लगातार अपीलार्थी का कार्य संतोषप्रद पाया गया है। रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी द्वारा एकपक्षीय जांच कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये ही निरस्त कर दिया गया है जो एक गम्भीर त्रुटि है। अपीलार्थी के विरूद्ध जिस आक्षेप के आधार पर 5 क्विटल गेंहू के संबंध मे प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना चौहटन मे धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज की गई है उस माल की

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बरामदगी अपीलार्थी से नही हुई थी न ही उक्त माल अपीलार्थी की दुकान से गया बल्कि राजनैतिक रंजिश के लिए अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद प्रवृतन निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण कर फर्द बनाई उसके बाद जिला रसद अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर पुनः जांच की गई तथा जांच अनुसार प्रत्यक्ष रूप से आक्षेपित अपराध का संबंध अपीलार्थी से नही होने के बावजूद अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो कानूनन गलत है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा कभी शिकायत नही की गई। रेस्पोडेंट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित आरोप के संबंध मे बिना जांच किये एक पक्षीय विवेचन के आधार पर पारित किया गया है वह गलत है तथा पोश मशीन की त्रुटि के कारण अपीलार्थी को दोषी करार नही दिया जा सकता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय, आरबीटेट्री एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

इसके जवाब मे रेस्पोडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि अपीलांट के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों को माह सितम्बर 2016 से 27 जनवरी 2017 तक आवंटित खाद्यान्न के कुल प्राप्त, वितरण एवं शेष के मिलाने मे 11.95 क्विंटल गेंहू कम पाया गया तथा राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद 117.90 क्विंटल गेंहू वितरण रजिस्टर से वितरित किया गया है जबकि राज्य सरकार के आदेशानुसार पोश मशीन से ही वितरण किया जाना था। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना एवं प्राप्त वितरण एवं शेष मे 11.95 क्विंटल गेंहू कम पाये जाने से गबन जैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 11 व 18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) 5.

जिला कलक्टर बाड़मेर

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट मिश्रीमल/रावतमल, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड सं. 4, 14 चौहटन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री का प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न प्राप्त, वितरण एवं शेष का भौतिक सत्यापन किये जाने पर 128.95 क्विंटल गेंहू कम पाया गया, स्टॉक रजिस्टर के संधारण मे त्रुटियां एवं 117.90 क्विंटल गेंहू वितरण रजिस्टर से वितरण किया जाना पाया गया है जो राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी मानते हुए 11.05 क्विंटल गेंहू का गबन करने जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए उसके विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि रूपये 1000/– जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलार्थी को नोटिस जारी कर जवाब हेतु तलब किये जाने पर दिनांक 08.03.2017 को मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया है इसके पश्चात अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि जिस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप निर्धारित किये गये है उस प्रकरण मे माल की बरामदगी अपीलार्थी से नही हुई है तथा न ही वह माल अपीलार्थी की दुकान से गया है। पुलिस थाना चौहटन मे प्रकरण सं. 15/2017 अपीलार्थी के विरूद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुआ है इसमे अनुसंधान पश्चात पुलिस द्वारा क्या नतीजा

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, इसका अपीलाधीन आदेश मे कहीं उल्लेख नही किया गया है। अपीलार्थी का यह भी अभिकथन है कि सितम्बर 2016 से उचित मूल्य दुकान से सम्पूर्ण खाद्यान्न का वितरण पोश मशीन से किया जाना आवश्यक है किन्तु उक्त पोश मशीन की तकनीकी खराबी एवं गड़बड़ियों की शिकायत प्रदेशव्यापी रही है। अपीलार्थी की दुकानों के भौतिक सत्यापन के दौरान भी अपीलार्थी स्वंय हाजिर न होकर अपीलार्थी का पुत्र उपस्थित रहा है जिससे वितरण व शेष का स्टॉक निर्धारण स्पष्ट करने एवं रेकर्ड प्रस्तुत करने मे भी एकपक्षीय कार्यवाही सम्पन्न हुई है। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान से उचित मूल्य सामग्री के वितरण मे ग्रामवासियों की ओर से कोई शिकायत नही थी तथा रेकर्ड का संधारण भी पूर्ण कर लिया गया था इसके बावजूद भी अधिनस्थ अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट को ही आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। राशन सामग्री वितरण रजिस्टर एवं पोश मशीन की पर्चीयों मे भिन्नता आई हों एवं सामग्री वितरण मे कम–ज्यादा प्राप्त हुई हों तो उसका आकलन करते हुए जांच कार्यवाही सम्पन्न की जानी थी। इसके अलावा भी दोनों दुकानों से कम पाई गई सामग्री की मात्रा भी प्राप्त, वितरण के अनुपात मे इतनी अधिक नही है, ऐसे मे अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश से पूर्व उसे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान कर परिस्थितियों की वास्तविकता की जांच कराये जाने एवं गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर आदेश पारित करने मे भीघ्रता की गई है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 34/2017 मे

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर